साक्षर भारत

कानूनी साक्षरता शृंखला - 5

दहेज परंपरा नहीं अभिशाप

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

आभार

साक्षर भारत कार्यक्रम सितम्बर 2009 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत देश के निम्न महिला साक्षरता दर वाले 410 जिलों को सम्मिलित किया गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय है। कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता के साथ-साथ समतुल्यता कार्यक्रम, कौशल विकास व सतत् शिक्षा को भी जोड़ा गया है।

साक्षरता को शिक्षार्थियों/लाभार्थियों के दैनिक जीवन से अधिक जुड़ा हुआ व रोचक बनाने के उद्देश्य से इन्टरपर्सनल मीडिया कैम्पेन प्रारंभ किया गया है। कैम्पेन में जिन प्रमुख विषयों पर बल दिया जा रहा है उनमें कानूनी साक्षरता भी एक प्रमुख विषय है।

कानूनी साक्षरता की जानकारी सहज रूप में जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कानूनी साक्षरता शृंखला का निर्माण किया गया है। कानूनी साक्षरता सामग्री का निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर, भोपाल, रांची, पलामू के साथियों द्वारा विषय विशेषज्ञों तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के मार्गदर्शन में किया गया है।

कानूनी साक्षरता सामग्री के निर्माण में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार व यूएनडीपी के A2J प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट टीम द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया व सामग्री का अनुमोदन न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण सभी सहयोगी संस्थाओं/विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता है। आशा है कि यह सामग्री कानूनी साक्षरता के प्रति जन सामान्य में कानूनी जागरूकता लाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

दहेज : परंपरा नहीं अभिशाप

राजमोहन अपनी बेटी गीता की शादी को लेकर परेशान थे। कई जगह बेटी के रिश्ते की बात चलाई। पर कहीं घर-परिवार, तो कहीं लड़के वालों की मांग के कारण बात न बनी।

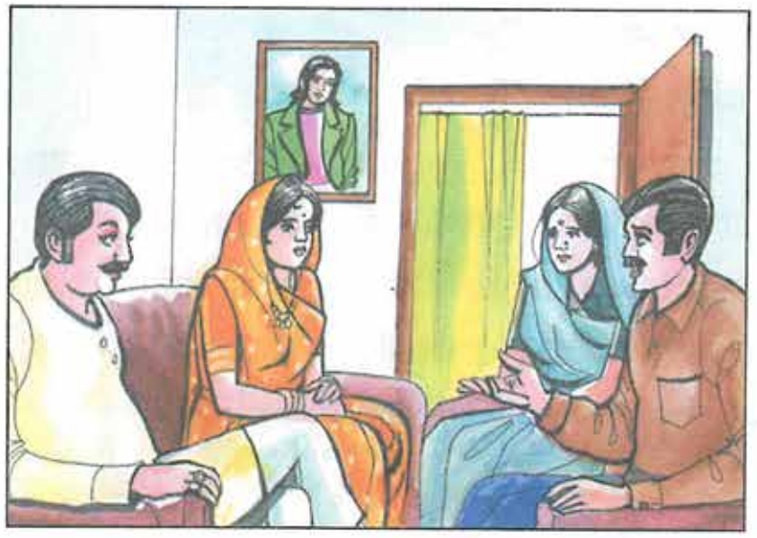

गीता अपने पिता से कहती- ''मैं आगे पढ़ाई कर नौकरी करना चाहती हूं। जो पैसे मेरी शादी के लिए खर्च होंगे, उसे मेरी पढ़ाई में लगा दें, तो ज्यादा फायदा होगा।''

राजमोहन ने कहा- ''शादी में दहेज देना परंपरा है बेटी। इससे हम कैसे इंकार कर सकते हैं?''

आखिरकार गीता की शादी तय हुई। राजमोहन ने बड़ी कठिनाई से लड़के वालों की मांग को पूरा करने का इंतजाम किया। शादी के समय

लड़के वालों की मांग के अनुसार सामान और नकद देकर गीता को विदा किया।

गीता शादी कर अपने ससुराल पहुंची, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। उसे और दहेज लाने के लिए सताया जाने लगा।

अभी शादी का एक साल भी नहीं हुआ था कि मजबूर होकर गीता ने आत्महत्या कर ली।

क्या राजमोहन ने परंपरा निभाई?

नहीं, दहेज परंपरा नहीं, एक सामाजिक अभिशाप है। यह समाज में महिला और पुरूष के बीच भेदभाव को बढ़ावा देता है।

ऐसी गलत परंपरा मिटाने के लिए सरकार ने दहेज के खिलाफ एक कानून बनाया है। यह कानून दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 है।

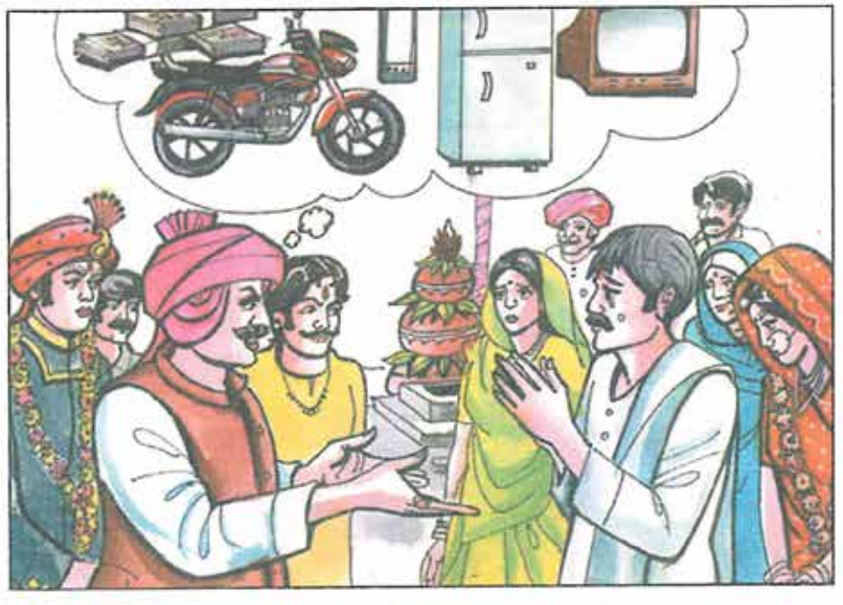

दहेज क्या है?

- शादी के समय वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष से नकद और गहनों की मांग की जाती है।
- मांग शादी के पहले, शादी के समय या शादी के बाद भी की जाती है।
- दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली जरूरी चीजें जैसे टी.वी., फ्रिज, कूलर, फर्नीचर, कार, मोटरसाइकल, प्लॉट, फ्लैट, मकान, जमीन आदि अन्य कोई मूल्यवान वस्तु की मांग की जाती है।
- उपरोक्त सभी दहेज हैं।

सुधीर और मालती की शादी तय हो गई। सुधीर के पिता ने शादी से पहले फ्रिज, 5 तोला सोना और नकद की मांग की। शादी पक्की हो चुकी थी। इसलिए मालती के पिता ने यह मांग मान ली। मालती की शादी हो गई। दहेज के साथ बेटी विदा हो गई।

कानून की नजर में सुधीर के पिता अपराधी हैं। साथ-साथ मालती के पिता भी अपराधी हैं। कानून में दोनों सजा पाने के भागीदार हैं। क्योंकि दहेज लेना एवं दहेज देना दोनों अपराध हैं।

दहेज लेने या देने की सजा :

- पांच साल तक की कैद।
- 15,000 रुपए जुर्माना।
- दहेज की रकम अगर 15,000 रुपए से ज्यादा हो तो उस रकम के बराबर जुर्माना।

दहेज मांगना अपराध है :

नीतू की शादी रघुनाथ के बेटे राकेश से तय हुई। शादी के एक महीना पहले ही राकेश के पिता ने लंबी-चौड़ी मांग रख दी। मांग पूरी न होने पर शादी तोड़ने की धमकी दी।

नीतू के पिता सोच में पड़ गए। उन्होंने कुछ लोगों के कहने पर रघुनाथ के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रघुनाथ को दहेज मांगने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया।

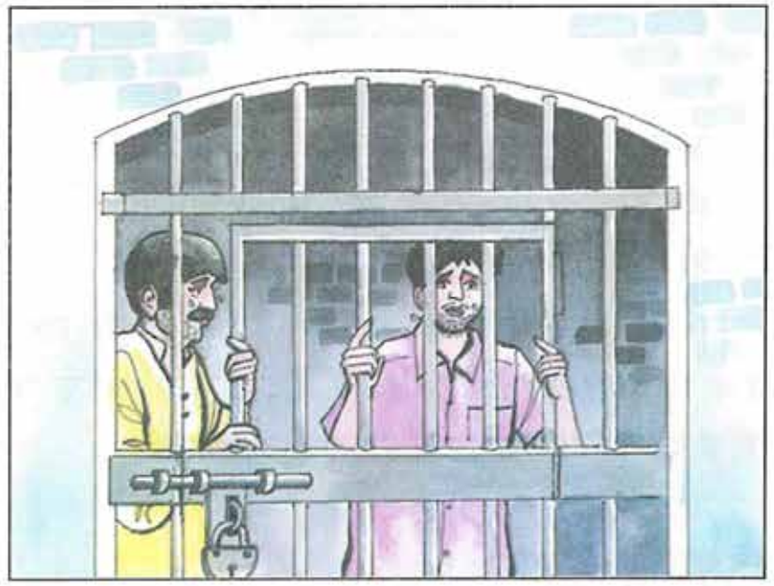

दहेज मांगने की सजा :

- कम से कम छह महीने से लेकर दो साल तक की कैद।
- 10,000 रुपए तक का जुर्माना।

दहेज लेने या देने में सहायता करना अपराध है :

जगनलाल के पास लड़के-लड़की वाले आते रहते हैं। लड़के वाले जगनलाल की खूब तारीफ करते हैं। वह लड़की वालों से मुंह मांगा दहेज दिला देता है।

जगनलाल ने सुरेश की शादी लता से तय करवाई। सुरेश के पिता को कीमती सामान, जेवर एवं एक लाख नकद भी दिलवाया। जगनलाल को इनाम में 5000 रुपए मिले।

आमतौर पर शादी के रिश्ते बिचौलिए या रिश्तेदारों की सहायता से तय किए जाते हैं। बिचौलिए इधर-उधर की बातों के साथ लेन-देन भी तय कराते हैं। कानून की नजर में ऐसे बिचौलिए अपराधी हैं। उन्हें भी वही सजा भुगतनी होगी, जो दहेज लेने या देने वाले की है।

दहेज लेने-देने में सहायता करने वाले की सजा :

- कम से कम पांच साल तक की कैद।
- 5000 रुपए जुर्माना या दहेज की रकम अगर 15,000 रुपए से ज्यादा हो तो उस रकम के बराबर जुर्माना।

दहेज के लिए विज्ञापन :

प्रिया, जगत की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी के लिए उसने अखबार में एक विज्ञापन दिया। 'वर चाहिए' लड़की की आयु 22 वर्ष, रंग गोरा, देखने में सुंदर। शादी में मुंह मांगा दहेज दिया जाएगा। शादी के इच्छुक वर संपर्क करें।

लोग शादी के रिश्ते के लिए अखबारों में विज्ञापन देते हैं। लड़के की आमदनी, रंग-रूप आदि के साथ-साथ दहेज के संकेत दिए जाते हैं। लड़की वाले भी कभी-कभी विज्ञापन देते हैं कि शादी करने वाले को नकद व संपत्ति दी जाएगी।

कानून के अनुसार इस तरह का विज्ञापन देना अपराध है। शिकायत किए जाने पर उसे सजा हो सकती है।

कानून में इसके लिए सजा :

- कम से कम छह महीने से लेकर पांच साल तक की कैद।
- 15,000 रुपए तक का जुर्माना।

क्या शादी में दिए जाने वाले सभी उपहार दहेज हैं?

नहीं, विवाह के समय वधू को अथवा वर को उपहार दिए जा सकते हैं। कानून में इसकी अनुमति है, परंतु यह जरूरी है कि :

- उपहारों की एक लिखित सूची बनाई जाए।
- इस सूची को विवाह के समय अथवा विवाह के तुरंत बाद बनाया जा सकता है।
- उपहारों के अनुमानित / वास्तविक मूल्य का विवरण भी शामिल हो।
- उपहार देने वाले व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो।
- वधू अथवा वर के साथ संबंध बताया गया हो।
- सूची पर वधू तथा वर द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।
- ये उपहार देने वाले की हैसियत या आर्थिक स्थिति के हिसाब से हो।

ऐसे उपहारों की मांग न हो, जो कोई व्यक्ति या संबंधी देने की स्थिति में न हो। न ही इसके लिए दबाव डाला गया हो।

रमा और महेश की शादी तय हुई। रमा के पिता और रिश्तेदारों ने शादी के दिन कई उपहार दिए। रमा के पिता ने सभी उपहारों, रुपयों, जेवरों व अन्य सामानों की सूची बनाई। सूची पर रमा और महेश ने हस्ताक्षर किए। रमा के पिता और महेश के पिता ने भी हस्ताक्षर किए। हंसी-खुशी से रमा की विदाई हुई।

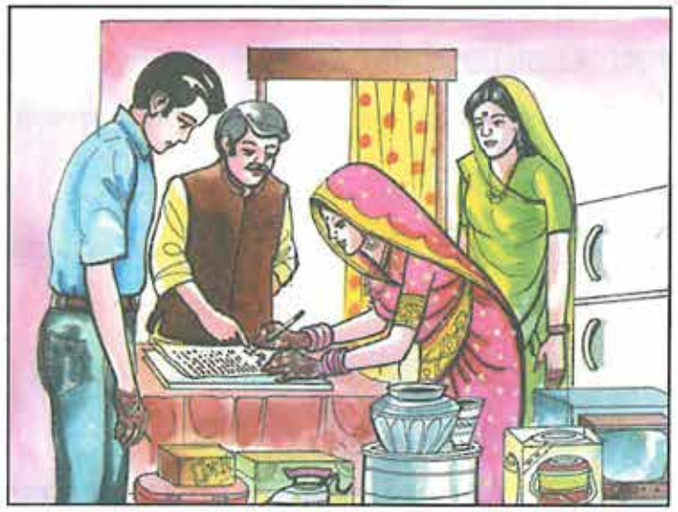

स्त्रीधन :

- शादी के पहले, शादी के समय या शादी के बाद वधू को दिए गए उपहार या कोई भी संपत्ति वधू की अपनी संपत्ति है।
- यह उसका स्त्रीधन है, जिस पर सिर्फ उसका हक है।
- इस स्त्रीधन पर किसी और का कोई हक नहीं है।

- स्त्री अपने स्त्रीधन को जिसे चाहे दे सकती है।

शादी के समय मिले उपहारों की सूची बनाना कानूनन आवश्यक है।

सूची बनाने का महत्व :

इस सूची का बनाना इसलिए जरूरी है कि लड़की को इस संपत्ति को लेकर परेशानी का सामना न करना पड़े। यह सूची एक सबूत बन सकती है।

कानून के अनुसार :

- शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद लिया गया दहेज / उपहार शादी की तारीख से तीन महीने के अंदर लड़की को देना होगा।
- लड़की को मिली संपत्ति पर किसी और का अधिकार नहीं है।
- स्त्री अपनी इस संपत्ति को जिसे चाहे दे सकती है।
- दहेज में मिला धन लड़की के अलावा किसी और के पास होता है, तब तक वह उस व्यक्ति के पास अमानत के तौर पर होता है। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि दहेज के सामान या नकदी को सही सलामत रखे। मांगे जाने या सही समय पर लड़की को लौटा दे।
- अगर ऐसे व्यक्ति से सामान या नकद मिलने से पहले लड़की की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसके वारिस उस व्यक्ति से दहेज मांग सकते हैं। महिला के वारिस होंगे - उसका बेटा या बेटी या फिर उसके माता-पिता।
- अगर कोई व्यक्ति सामान नहीं लौटाता है तो शिकायत दर्ज करें। उस पर अपराधिक मामला दर्ज होकर कठोर कैद की सजा होगी।

स्त्रीधन (दहेज) न लौटाने वाले की सजा :

- छह महीने से दो साल तक की कैद।
- 5000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों।

दहेज अपराध की शिकायत :

मालती की शादी की पहली वर्षगांठ थी। इस अवसर पर वह खुशियां बांटना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। ससुराल वालों ने दहेज न लाने पर प्रताड़ता शुरू कर दी। मायके से रुपए लाने के लिए दबाव देने लगे।

मालती तंग आकर थाने में गई। उसने सारी बातें साफ-साफ रपट में लिखवाई। मामला आगे बढ़ा। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

शिकायत कौन कर सकता है?

- दहेज से पीड़ित महिला, उसके माता-पिता या अन्य रिश्तेदार।
- पुलिस अफसर या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई स्वयंसेवी संस्था।
- अगर अदालत को किसी ऐसे मामले की खबर मिले तो वह खुद कार्यवाही शुरू कर सकती है।
- दहेज की रिपोर्ट लिखवाने या मुकदमा चलाने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। कोशिश यह होनी चाहिए कि रिपोर्ट जल्द-से-जल्द

लिखवाई जाए।

- एक बार दहेज से संबंधित अपराध की शिकायत दर्ज हो गई, तो समझौता होने पर भी शिकायत वापस नहीं ली जा सकती।

शादी के बाद दहेज के लिए दबाव बनाना :

- **शारीरिक यातना**
  - महिला की जान को खतरा एवं शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाना।
  - उसके शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना ।
- **मानसिक यातना**
  - महिला को कमरे में बंद रखना।
  - खाना-पीना न देना।
  - उसके परिवार वालों से न मिलने देना।
  - उसे बदसूरत कहना।
  - गाली-गलौज करना।
  - बिना किसी कारण के शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना।

फूलकुमारी शादी के बाद ससुराल आई। ससुराल वाले उससे मायके से रुपए लाने को कहते। रुपए नहीं लाने पर उसे ताने सुनने पड़ते।

फूलकुमारी को उसके परिवार वालों से मिलने नहीं देते। उसे कमरे में बंद रखते, खाना भी नहीं देते। इन सब कष्टों से तंग आकर एक दिन फूलकुमारी ने अपने जीवन का अंत कर लिया।

दहेज हत्या

ऐसे मामले में मरने वाले की लाश का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराए बगैर दाह-संस्कार करना अपराध है। इसके लिए अपराधी को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।

इसे दहेज हत्या माना जाएगा :

- मृत्यु के पहले लड़की से दहेज की मांग की गई हो। उसे दहेज के लिए तंग किया जाता रहा हो।
- उसकी मृत्यु शादी के सात साल के अंदर हो गई हो।
- मृत्यु असाधारण तरीके से हुई हो।

दहेज हत्या के दोषी की सजा :

- कम से कम सात साल की कैद।
- उम्र कैद।

दहेज हत्या के मामले में पुलिस क्या करेगी?

- पुलिस नजदीकी मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचना देगी।
- मृत्यु के कारणों की जांच करेगी। पुलिस अफसर स्वयं वहां जाएगा, जहां घटना घटी है।
- पुलिस लाश को डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाकर मृत्यु के कारणों का पता लगाएगी।
- घटना स्थल पर वहीं के रहने वाले दो जाने-माने व्यक्तियों के सामने जांच करके एक रिपोर्ट बनाएगी। रिपोर्ट पर पुलिस अफसर और वहां पर मौजूद लोगों के हस्ताक्षर होंगे।

हम इस अभिशाप को मिटा सकते हैं

हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। इसी प्रधानता से उपजे हैं कई अभिशाप। दहेज इनमें से एक है। दहेज की इस घिनौनी परंपरा की वजह से बेटा-बेटी के बीच में भेदभाव किया जाता है। इतना ही नहीं दहेज से उपजी है कन्या भ्रूण हत्या की समस्या।

- हम इस सामाजिक अभिशाप को दूर कर सकते हैं। इसे दूर करने में कानून हमारी मदद करता है।
- अगर कोई महिला आत्महत्या करती है या ऐसा लगता है कि उसकी हत्या का जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति है तो थाने में जाकर एफ.आई. आर. (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराएं।
- अगर पुलिस कोई पहल करने या सुनने से इनकार करे तो इसकी सूचना तुरंत उच्च अधिकारी को दें।
- दहेज के खिलाफ जागरूकता फैलाएं।

कानून का दुरुपयोग

कानून का दुरुपयोग करने वाले को सजा मिल सकती है यदि -

- कोई दहेज संबंधी झूठी शिकायत करके किसी को परेशान करता है।
- उसे कानूनी प्रक्रिया में उलझाता है।
- झूठी शिकायत करने वाले को न्यायालय जुर्माने तथा कारावास की सजा दे सकता है।
- न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को शिकायत करने वाले से मुआवजा भी दिलवा सकता है।

कानूनी साक्षरता शृंखला पुस्तिकाएं

शीर्षक	शृंखला क्रमांक
◆ **आंखे खुल गईं** (भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य)	1
◆ **और बात बन गई** (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 व संशोधित 2003)	2
◆ **रमा की पाठशाला** (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009)	3
◆ **गरिमा का सवाल** (यौन हिंसा के विरुद्ध कानून 2013)	4
◆ **दहेज परंपरा नहीं अभिशाप** (दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961)	5
◆ **आशा की किरण** (घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005)	6
◆ **अब कोई भूखा न रहे** (खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)	7
◆ **अत्याचार का अंत** (अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)	8
◆ **रमेश को मिला न्याय** (नि:शुल्क विधिक सहायता)	9
◆ **हमारे जंगल - हमारी धरोहर** (अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)	10
◆ **यूं बनी सड़क** (भू-अधिग्रहण कानून 2013)	11
◆ **भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं**	12

साक्षर भारत

राज्य संदर्भ केंद्र

राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति

7-ए, झालाना संस्थान क्षेत्र, जयपुर-302004

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली 110001

वेबसाइट : www.mhrd.gov.in, www.Mygov.in